राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/ 9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः F. 2( )/DS-II/RSLSA-PS-2019/330-365 दिनांकः 31.05.2019

प्रेषितिः सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषयः **राज्य की केन्द्रीय जेल एवं जिला जेल में निरूद्ध व्यक्तियों (prisoner) हेतु Legal Aid Clinic को प्रभावी बनाने के संबंध में।**

महोदय,

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी स्कीम के अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 09 केन्द्रीय जेल, 01 उच्च सुरक्षा जेल, 3 Reformatory और 24 जिला जेल सहित 60 Sub-jail में Legal Aid Clinic स्थापित किये गये हैं, जहां पूर्व में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स एवं पैनल एडवोकेट की आवश्यकता अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, परन्तु प्रभावी तौर पर व्यवस्था नहीं बन पाई है; अतः पूर्व में दिए गये दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में उक्त वर्णित 9 केन्द्रीय जेल (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर व अलवर), एक High Security Jail अजमेर एवं 24 जिला जेल (धौलपुर, टोंक, बांसवाड़ा, बांरा, बाडमेर, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करोली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सीकर, सिरोही) में Legal Aid Clinic के संचालन एवं पी.एल.वी. की ड्यूटी के संदर्भ में निम्न दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैः–

01. प्रत्येक Legal Aid Clinic का तत्काल निरीक्षण सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाकर यह रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी कि वर्तमान में इन Legal Aid Clinic पर dedicated room या shared room के साथ–साथ क्या–क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर (जैसे टेबल, कुर्सी, कम्प्यूटर, प्रिन्टर आदि) उपलब्ध है और यदि नालसा की स्कीम के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है तो तत्काल रालसा को अवगत कराया जाएगा ताकि इन जेलों में जो जिला मुख्यालय पर स्थित है तत्काल इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाएगी। (अधिकतम समय 7 दिवस) (To be reported by 10th June 2019)
02. यह भी जांच की जावे कि Legal Aid Clinic पर उपलब्ध कराये गये रजिस्टरों में निर्धारित सूचनाएं दर्ज हो रही है या नहीं और यदि रजिस्टर की उपलब्धता नहीं है तो उसे भी रालसा को अवगत कराया जाएगा। रजिस्टर एवं उससे संबंधित प्रक्रिया की पालना तत्काल सुनिश्चित की जाएगी। (अधिकतम समय 7 दिवस) (To be reported by 10th June 2019)

31/05/19

03. उक्त जेलों में 02 पी.एल.वी. की ड्यूटी इस प्रकार लगाई जाएगी कि पहला पी.एल. वी. माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक एवं दूसरा पी.एल.वी. 16 तारीख से माह की अंतिम तारीख तक सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक उपस्थित रहे।

04. पी.एल.वी. की ड्यूटी जेल में आवक–जावक रजिस्टर से एवं वास्तविक रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सत्यापित की जाएगी और इसके लिए जेल अधीक्षक द्वारा या जेल प्रभारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं होगी। इसके लिए रालसा द्वारा शीघ्र बायोमेट्रिक व्यवस्था या लोकेशन शैयरिंग सिस्टम प्रारम्भ किये जाने की भी संभावना है, तब तक Whatsapp से location share की जाकर मोनिटरिंग की जावेगी।

05. यदि कोई जेल पी.एल.वी. किसी दिन उपस्थित नहीं होता है तो अन्य पी.एल.वी. की ड्यूटी लगाई जाएगी और यदि वह भी उपस्थित नहीं होता है तो अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी, परन्तु 3 दिवस से अधिक यदि पी.एल.वी. द्वारा बिना उचित कारण के गैर हाजरी की जाती है अथवा अनुचित व अन्य माध्यम का प्रयोग करते हुए असत्य दस्तावेज से उपस्थिति प्रस्तुत की जाती है, तो उस पी.एल.वी. को पैनल से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी।

06. पी.एल.वी. को देय मानदेय के संदर्भ में पृथक से जारी परिपत्रों के अनुसार मानदेय दिया जाएगा और मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान पी.एल. वी. बिना RSLSA की अनुमति से देय नहीं होगा।

07. जेल क्लिनिक में कार्य करने वाले पी.एल.वी. को समय–समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण को ग्रहण करना अनिवार्य होगा और यदि पी.एल.वी. प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहता है तो यह पी.एल.वी. को पैनल से हटाये जाने का एक आधार होगा।

08. पी.एल.वी. का यह दायित्व होगा कि वह जेल में निरूद्ध प्रत्येक कैदी या Prisoner से, जब भी आवश्यकता हो तब मुलाकात करे परन्तु जेल में कैदियों की संख्या 300 से अधिक होने पर 7 दिन में कम से कम एक बार अन्यथा 3 दिन में एक बार मुलाकात करना अनिवार्य होगा और इस मुलाकात का रजिस्टर जेल पी.एल.वी. द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें उस बंदी/Prisoner के हस्ताक्षर अथवा अगूंठा निशानी एवं जिस समय उससे मुलाकात की गई है, उसका समय एवं उसके द्वारा यदि कोई पीड़ा बताई गई है तो उसका विवरण दर्ज किया जाएगा।

09. पी.एल.वी. द्वारा यदि किसी बंदी/Prisoner द्वारा उसके अधिवक्ता से संवाद/मुलाकात की इच्छा प्रकट की गई हो तो जेल पी.एल.वी. का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को जरिये मेल अथवा पत्र के माध्यम से सूचित करेगा अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्पर्क नंबर पर संबंधित लिपिक को विवरण नोट कराएगा और इसका रजिस्टर में

31/05/19

इन्द्राज करेगा, जिस रजिस्टर को प्रत्येक सप्ताह सचिव द्वारा जेल निरीक्षण करते समय सत्यापित किया जाएगा।

10. जेल में जब भी पैनल एडवोकेट द्वारा अथवा अन्य विजिटर जो रालसा या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत हो, विजिट किया जाएगा तो संबंधित पी.एल. वी. द्वारा यदि किसी बंदी/Prisoner की कोई विधिक परेशानी है या विधिक सलाह की आवश्यकता हो तो उसे अवगत करायेगा और पैनल एडवोकेट द्वारा संबंधित बंदी/Prisoner को उचित सलाह दी जाएगी, परन्तु पैनल एडवोकेट द्वारा यदि उस कैदी की या उसके परिवार के किसी सदस्य की इस मुलाकात के बाद या इस उपलब्ध सलाह के बाद स्वतंत्र रूप से पैरवी नहीं की जा सकेगी।
11. पैनल एडवोकेट द्वारा मुलाकात के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह स्वयं को बंदी/Prisoner अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को उसे अधिवक्ता बनाने के लिए प्रेरणास्पद कार्य नहीं करेगा।
12. पी.एल.वी. द्वारा यह भी देखा जाएगा कि जेल में तय मानकों के अनुसार साफ–सफाई एवं भोजन की व्यवस्था हो रही है अथवा नहीं। यदि इसमें किसी भी समय पर कोई कोताही बरती जाती है तो इसकी सूचना वह तत्काल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देगा, जो तत्काल Action लेते हुए रालसा को भी सूचित करेगा।
13. अण्डर ट्रायल रिब्यू कमेटी की बैठक से संबंधित आंकडों के सत्यापन का कार्य भी यदि पी.एल.वी. को DLSA द्वारा सौंपा जाए तो वह तत्परता से करेगा।
14. रालसा/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्स की जो सुविधा जेल में निरूद्ध व्यक्तियों/Prisoner को उनके अधिवक्ता से Legal Consultation की शुरू की गई है, उसके बारे में कोई भी अनुरोध किसी भी बंदी का प्राप्त होने पर, उसके संबंध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगा।
15. यदि कोई निरूद्ध व्यक्ति या बंदी जिला न्यायालय/अपर जिला न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर अथवा जोधपुर में जमानत आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है अथवा किसी प्रकरण में पैरोल का आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो पी.एल.वी. उस सूचना को दर्ज करेगा और उस सूचना की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देगा। यह सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सचिव, RHCLSC जयपुर अथवा सचिव, RHCLSC जोधपुर जो भी क्षेत्राधिकार हो, उसे शीघ्र प्रेषित की जायेगी ताकि जमानत आवेदन अथवा पैरोल आवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने के आवश्यक कदम उठाये जा सकें।

31/05/19

16. पी.एल.वी. यह भरसक प्रयास करेगा कि वह प्रत्येक निरूद्ध व्यक्ति या बंदी से कम से कम 3 दिन में एक बार मिल ले परन्तु 7 दिन से अधिक की अवधि बिना मुलाकात के व्यतीत होती है, तो पी.एल.वी. का स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा।
17. इसी प्रकार जो भी नया व्यक्ति अभिरक्षा में पहली बार जेल में आएगा तो उसका सम्पूर्ण विवरण प्राप्त कर उससे वार्ता करने का दायित्व भी पी.एल.वी. का होगा। यदि पी.एल.वी. जेल में पहली बार आये हुए बंदी से 3 दिन तक वार्ता करने में विफल होगा तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित पी.एल.वी. का स्पष्टीकरण तलब करेगा।

उपरोक्त व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि वह पृथक से जारी आदेश के मुताबिक 7 दिन में एक बार जेल क्लिनिक का निरीक्षण करेगा और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन पी.एल.वी. को उक्त क्लिनिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो वह प्रदान करेगा।

प्रत्येक माह में पी.एल.वी. का कार्य पूरा होने पर वह रिपोर्ट सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 07 दिवस में आवश्यक रूप से जमा करावेगा। जिसका सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन दिन में किया जावेगा। यदि असत्य आंकडे अथवा असत्य जानकारी इन्द्राज की जाती है तो इसके लिए दोषी पी.एल.वी. या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

भवदीय

(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर